न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 24/2018 (2018/00089)

प्रार्थीनी :–

लीलादेवी पत्नी श्री ओमाराम विश्नोई, निवासी– ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत धवा जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
2. पुरखाराम पुत्र श्री गोपाराम, जाति विश्नोई (ढाका), निवासी– धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 61 जो मिसल संख्या 61 में कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 792.667 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत धवा द्वारा दिनांक 07.10.1999 को जारी किया गया।

पंचायत निगरानी संख्या : 25/2018 (2018/00090)

प्रार्थीनी :–

लीलादेवी पत्नी श्री ओमाराम विश्नोई, निवासी– ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत धवा जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
2. मोहनराम पुत्र श्री गोपाराम, जाति विश्नोई (ढाका), निवासी– धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 17 जो मिसल संख्या 117 में कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 688.445 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत धवा द्वारा दिनांक 20.10.1999 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी संख्या : 26/2018 (2018/00091)

प्रार्थीनी :–

लीलादेवी पत्नी श्री ओमाराम विश्नोई, निवासी– ग्राम धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत धवा जरिये सरपंच, तहसील लूणी।
2. मोहनराम पुत्र श्री गोपाराम, जाति विश्नोई (ढाका), निवासी– धवा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 18 जो मिसल संख्या ..... में कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम 820.056 वर्गगज का पट्टा ग्राम पंचायत धवा द्वारा दिनांक 10.10.1999 को जारी किया गया।

उपस्थिति :

1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री बाबुलाल विश्नोई उपस्थित ।

आदेश **दिनांक :–12.10.2021**

प्रस्तुत पंचायत निगरानियाँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 61 मिसल संख्या 61 दिनांक 07.10.1999, पट्टा संख्या 17 मिसल संख्या 117 दिनांक 20.10.1999 व पट्टा संख्या 18 दिनांक 20.10. 1999 को सरपंच ग्राम पंचायत धवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किये गये है। उक्त निगरानियों में कानूनी बिन्दु एवं तथ्य एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

प्रार्थी अभिभाषक द्वारा यह पंचायत निगरानियाँ इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जो विधिक तौर पर तामील होना पाया गया। इन पंचायत निगरानियों में मूल रेकर्ड पदेन सचिव, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत धवा से तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत पंचायत निगरानियों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी करने में अप्रार्थी संख्या 01 ने कानूनी एवं वाक्यांती भूल की है। सम्बन्धित नियमों की पालना नहीं की। पट्टा जारी करने में गम्भीर अनियमितता की है। आगे यह भी कथन किया कि उक्त पट्टा नियम 157 ख के तहत जारी किया जाना बताया गया, उक्त नियम के तहत पट्टा केवल 50 वर्ष पूर्व निर्मित रहवासीय मकान का ही जारी किया जा सकता है। वर्तमान मामले में जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, उस पर कोई मकान बना हुआ नहीं था। आगे यह भी बताया कि सरपंच ने अप्रार्थी के नाम पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यदि सार्वजनिक नीलामी से विक्रय किया जाता तो बहुत बड़ी राशि पंचायत को प्राप्त हो सकती थी। जिस राशि का उपयोग विकास हेतु किया जा सकता था। सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए मात्र रूपये 200/- में पट्टा जारी किया हैं। आगे यह भी बताया कि अप्रार्थी द्वारा आवेदन दर्ज किये जाने योग्य ही नहीं था। इसलिए पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। तमाम कार्यवाही एक ही दिन में पंचायत भवन में बैठकर पूर्ण की गई है।

प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि एक ही दिन में आनन-फानन में कार्यवाही करते हुए पट्टे जारी कर दिये। मौके पर भूमि की स्थिति का कोई सत्यापन नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही अनियमितताओं का पिटारा है। लोक सेवकों द्वारा उनके पद का दुरूपयोग किये जाने के समान है। आगे यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत की तमाम कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर ग्राम पंचायत को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाने की नियत से की है। आगे यह भी बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं जारी सुदा पट्टा अनाधिकारपूर्ण है। अकेले सरपंच को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अन्त में पट्टा विलेख को निरस्त करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अभिभाषक बी.एल. विश्नोई ने प्रारम्भिक आपत्तियाँ प्रस्तुत की जिसमें कथन किये कि निगरानी शपथ पत्र से समर्थित नहीं है। बिना शपथ पत्र के निगरानी में वर्णित तथ्यों पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। आगे यह भी बताया कि निगरानी रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है क्योंकि पूर्व में इन्ही पट्टों के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो आदेश दिनांक 13.09.2018 के जरिये निर्णित हुई है। अपनी आपत्तियों में यह भी बताया कि निगरानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 नियम 2 के अनुसार भी बाधित है क्योंकि प्रश्नगत पटटों

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:19 IST
Reason: Self Attested

के विरूद्ध पूर्व में लीलादेवी के काकी ससुर पोकरराम ने निगरानियां प्रस्तुत की थी तथा पारिवारिक प्रबन्धन के तहत व राजीनामे के तहत उक्त तीनों पट्टों के विरूद्ध निगरानियां विड्रो की एवं अन्य दो पट्टे की निगरानियां गुणावगुण पर निर्णित की। जिसमें परिवार के मुखियाओं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत हुए इसलिए अब नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती। आगे यह भी बताया कि निगरानी परिसीमा से बाधित है। प्रश्नगत पट्टों के विरूद्ध पूर्व में निगरानी संख्या 3/2017, 4/2017 व 5/2017 प्रस्तुत हुई थी। इनके साथ ही प्रार्थीनी के ससुर करणाराम व सास समुदेवी के नाम से जारी पट्टा संख्या 106 व 107 के विरूद्ध निगरानियां प्रस्तुत हुई थी जिनमें पैरवी प्रार्थीनी के पति ओमाराम निरन्तर रूप से कर रहे थे। हस्तगत तीनों ही निगरानियों जो पट्टा संख्या 17, 18 व 61 के विरूद्ध पेश सुदा थी, को विड्रो किया था तथा पट्टा संख्या 106 व 107 का गुणावगुण पर निर्णय किया गया था। प्रार्थीनी ने अपनी निगरानी पत्र में यह कहीं नही बताया है कि वह किस तरीके से हितबद्ध है और न ही प्रभावीजन है इसलिए उसे निगरानी प्रस्तुत करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीनी अपने सास ससुर के साथ निवास कर रही है। आगे यह भी बताया कि प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करने की नियत से पक्षकारों के नाम में परिवर्तन का रूप देकर तथ्यों को छुपाते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की। ऊपर के शब्दों को विस्तृत रूप देते हुए बताया कि प्रार्थीनी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है तथा ऐसे लोग जो तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयत्न करते है वे किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। पूर्व में निर्णित आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की एवं कथन किया कि इन्ही पट्टों के बाबत पूर्व में पुरजोर से पैरवी की गई। तत्तसमय प्रार्थीनी के सास व ससुर ने इन पट्टों को सही व जायज होना कथन किया है। जब इन पट्टों के बाबत पारिवारिक समझौते के अनुसार निगरानियां विड्रो कर ली तो केवल नाम बदल कर प्रकरण प्रस्तुत करवा दिया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जो वैद प्रकाश बनाम रजनीश कुमार एवं अन्य जो 2020(1) सिविल कोर्ट केसेज, पृष्ठ संख्या 438 की तरफ भी न्यायालय का ध्यान दिलवाया जिसमें स्वच्छ हाथों से नहीं आने के बिन्दु की व्याख्या की एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एकल पीठ सिविल रिट पीटीशन संख्या 4436/1997, 4439/1997 निर्णय दिनांक 27.10.1999 व एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 670/1998 निर्णय दिनांक 13.09.1999, एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1688/1983 निर्णय दिनांक 03.02.2000 में हुए निर्णय की ओर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested

दिलाया एवं कथन किया कि इन्ही न्याय निर्णयों पर प्रार्थीनी के ससुर ने पूर्ण निष्ठा जाहिर करते हुए पूर्ववर्ती निर्णयों में पेश की है जिसमें पंचायत निगरानी म्याद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य बताया है।

जहां तक पंचायत रेकर्ड का प्रश्न है उसके बाबत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2018 की ओर ध्यान आकर्षित करवाया जिसमें न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु उभर कर आया कि प्रस्तुत निगरानियों से सम्बन्धित मूल रेकर्ड के सम्बन्ध में ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत धवा के पत्र दिनांक 06.12.2017 के द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में ग्राम पंचायत धवा में बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 2004 का ही उपलब्ध है और निगरानी संख्या 1–5/2017 से सम्बन्धित जारी पट्टों की मूल पत्रावलियां उपलब्ध नहीं है, मुझे चार्ज में नहीं दी। इस बाबत दिनांक 08.02.2018 को पदेन सचिव/ग्राम सेवक धवा ने उपस्थित होकर न्यायालय द्वारा चाही गई मूल पत्रावलियां प्रस्तुत की जिसमें दीमक लगी हुई होने के कारण एवं जीर्णक्षीण अवस्था में होने के कारण पत्रावली में रखने योग्य नहीं है।

हमने उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत नजीरों व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रस्तुत पंचायत निगरानियों से संबंधित मूल रेकर्ड के संबंध में ग्राम सेवक/पदेन सचिव, ग्राम पंचायत धवा ने पत्र क्रमांक धवा/2018/139 दिनांक 09.10.2018 के द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत धवा द्वारा पट्टा बुक पहले से न्यायालय में पेश किये जा चुके है और निगरानीधीन पट्टा विलेखों की मिसलें न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। मिसल की पत्रावलियों में दीमक लगी होने के कारण पृष्ठ अंकित करना सम्भव नहीं है।

इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत धवा ने अप्रार्थीगण को जारी पट्टा विलेख के बिन्दु संख्या 03 में लिखा है कि आपसी बातचीत द्वारा नियम 157 (ख) के अनुसरण में जारी किया गया। जो विश्वसनीय नहीं है प्रथमतः राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों का विनियमितिकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा जारी [illegible] जा सकेगा–

(क) 50 वर्षों से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रूपये
(ख) 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 (2) के तहत कमजोर व्यक्तियों को आंवटित भूमि की न्यूनतम दर भी 2 रूपये प्रति वर्गगज निर्धारित की हुई है तथा अधिकतम 10 रूपये प्रति वर्गगज लेने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण को क्रमशः 792.667 वर्गगज, 688.445 वर्गगज व 820.056 वर्गगज भूमि का आवंटन किय जाने पर भी मात्र 200 रूपये वसूल किये गये जो विधिसम्मत नहीं हो सकता। द्वितीयत, नियम 158 (4) में भी स्पष्ट किया गया है कि तथापि पंचायत बैठक में किसी संकल्प द्वारा ऐसी भूमि बातचीत द्वारा अनुकम्पा आधारों पर ऐसे अतिचारी को बाजार कीमत पर आवंटित करने का प्रावधान है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 156 (2) के तहत आपसी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने का प्रावधान है परन्तु इसमें भी गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जायेगी, बतलाया गया है। उपरोक्त प्रकरण में जारी पट्टा विलेख आपसी बातचीत से 200 रूपये में जारी करना बताया गया है जो राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के अनुसार विधिसम्मत नहीं है। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61, 17 व 18 विधिक प्रावधानों के तहत जारी किया गया हो।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, धवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 पुरखाराम पुत्र गोपाराम जाति विश्नोई को जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 07.10.1999, मोहनराम पुत्र गोपाराम जाति विश्नोई को जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 20.10.1999 तथा मोहनराम पुत्र गोपाराम जाति विश्नोई को जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 20.10.1999 में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त किये जाते है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:19:19 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर